

नगर परिषद कालका सार्वजनिक सूचना

सभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत नगर निकाय प्रशासन/सेवा वितरण में नागरिक भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक- MCK/2025/6704-6707 दिनांक-19.01.2026 द्वारा नगर परिषद कालका में वार्ड सभाओं का गठन किया गया है। इस आशय बाबत सूचना नगर परिषद, कालका की वेबसाइट <https://www.mckalka.com> पर सभी जनसाधारण के लिए अपलोड कर दी गई है।

2- अतः सभी जनसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि वार्ड सभा के गठन से संबंधित शक्तियों एवं उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण हरियाणा नगर पालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008 में वर्णित है। यह अधिनियम नगर परिषद, कालका की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।


Executive Officer
For District Municipal Commissioner
Municipal Council Kalka

19/1/2026
